न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—151/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00057)

1. बिडदीचन्द गुर्जर उम्र 56 वर्ष पुत्र श्री चिमनाराम, जाति गुर्जर, निवासी नोरवला की ढाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौडजी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू।
2. सरपंचत ग्राम पंचायत टीटनवाड जरिये सरपंच मुनीदेवी पंचायत समिति उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः—
1. श्री उम्मेदराज सैनी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 19.01.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2011 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है जिस भूमि पर अपीलान्ट बसा हुआ है उस पर सभी ग्रामवासियों व पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से आज दिनांक से लगभग 40 वर्ष पूर्व बसा था तब से लेकर आज तक अपीलान्ट उसी स्थान पर बसा हुआ है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट गरीब व भूमिहिन व्यक्ति है तथा अपीलान्ट गांव में महनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का लालन—पालन करता है, अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने कब्जे व ग्रामवासियों की सहमति से बसे होने का सबूत भी पेश किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल कारित की है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट के पास उक्त भूमि पर कब्जा रहते हुये टीटनवाड ग्राम का राशन कार्ड भी है जो इसके पुराने कब्जे का सबूत है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू के न्यायालय में जब प्रथम अपील विचाराधीन थी तब रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया और उस प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 140 की भूमि को कस्टोडियन भूमि बताते हुये उक्त भूमि में 500—700 वर्ष पुराना बद्रीनारायण जी का मंदिर होना बतलाया व इस भूमि में उत्सव आदि मनाने का कथन अंकित किये इससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि चारागाह भूमि नही रही है इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः

P.T.O.

अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू व नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2011 व 06.10.2009 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस आदि भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.08.2009 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम टीटनवाड़ की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 0.97 किस्म गै.मु. चारागाह में से 0.05 हैक्टयर पर अवैध रूप से छान, टीन शैड व बाड़ा लगाकर अतिक्रमण किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना स्वामित्व होने सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2011 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त, 19/1/23
जयपुर।